

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : एफ 18-2/2011/ई/चार भोपाल, दिनांक : 3 / 11 / 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,
समस्त कोषालय, अधिकारी,
समस्त जिला पेंशन अधिकारी,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- दिनांक 31.01.2011 के पूर्व के शेष लंबित पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाने विषयक ।
सन्दर्भ :- वित्त विभाग के ज्ञाप क. एफ-18-2/2011/ई/चार, दिनांक 30.07.2011.

—00—

राज्य शासन द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला पेंशन कार्यालयों का गठन कर उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा दिनांक 31.01.2011 के पूर्व के पेंशन प्रकरण पूर्ववत संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/जिला कोषालयों द्वारा निराकृत किए जाने एवं दिनांक 31.01.2011 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों

का निराकरण जिला पेंशन कार्यालय द्वारा किये जाने के आदेश प्रसारित किए गए थे ।

2/- वर्तमान में समस्त जिलों में पेंशन कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं । अतः अब दिनांक 31.01.2011 के पूर्व के शेष रहे पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व भी जिला पेंशन कार्यालयों को सौंपा जाता है । इस व्यवस्था को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल को प्रस्तुत किए जाने वाले पेंशन प्रकरण जिला पेंशन अधिकारी, भोपाल एवं अन्य जिलों में कोषालय अधिकारी के स्थान पर जिला पेंशन कार्यालय को प्रेषित किए जाए ।

3/- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव,


म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

दिनांक : 3 // / 2012

पृष्ठांकन क. एफ 18-2/2011/ई/चार
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
7. निज सचिव/सहायक यंत्री/राजमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/ उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/ऑडिट-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/ माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/ सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/ अधीक्षण शाखा/ अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफीसर मंत्रालय, भोपाल।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
20. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
21. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/ संघों की ओर।
23. गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।


(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग